आवश्यक

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प. 15(01)2015 / कार्मिक–स्ट्रेस्थ / प्रमुवसं / 10752–72 दिनांक: 29-9-2015

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन राज. जयपुर
परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–II, राजस्थान जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर / जयपुर / कोटा / भरतपुर / बीकानेर / जोधपुर / अजमेर।
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर / वन्य जीव जोधपुर / वन्य जीव कोटा / वन्यजीव उदयपुर / वन्यजीव भरतपुर / वन्य जीव सरिस्का (अलवर)।
मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर / बनास नदी परियोजना, जयपुर /
मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर।
उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

विषयः– आगामी वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए संशोधित अनुमान (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में) नियमित, स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदो का विवरण अद्यतन करने के संबंध में।

प्रसंगः– वित्तीय विभाग का बजट परिपत्र क्रमांक एफ. 4(37) वित्त–1(1) आ. व्यय / 2015 दिनांक 31.08.2015 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ सम / 10012–36 दिनांक 07.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक परिपत्र एवं इस कार्यालय का पत्र का अवलोकन करें। उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार सूचना तत्काल ऑनलाइन करते हुए हार्ड–कॉपी में सूचनाएँ भिजवाना सुनिश्चित करें।

अतः राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार निम्न सारणी अनुसार आपके संभाग से संबंधित संकलित सूचना तैयार की जाकर ऑनलाइन (IFMS) करते हुए अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान जयपुर को **3 दिवस** के भीतर इस कार्यालय में **फैक्स** (न.0141–27[illegible]) एवं ई–मेल – **dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in** पर दिनांक 30.09.2015 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें, ताकि विभाग की संकलित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जा सकें।

कृपया इसे प्राथमिकता देवें।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रपत्र–1–अ | नियमित स्वीकृत पदो का विवरण। |
| 2 | प्रपत्र–1–ब | स्वीकृत पदो के विरूद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण। |
| 3 | प्रपत्र–1–स | विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण (स्वीकृत पदो के अतिरिक्त)। |

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय

(वीरेन्द्र सिंह)
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प. 15(01)2015 / कार्मिक–स्ट्रेस्थ / प्रमुवसं / दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय कि वांछित सूचना उक्त निर्धारित प्रपत्र में 3 दिवस के भीतर इस कार्यालय में **फैक्स (न.0141–2700037)** से एवं ई–मेल – **dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in** पर भिजवाना सुनिश्चित करावें:–

समस्त उप वन संरक्षक / भू–संरक्षण अधिकारी / वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी / कार्य आयोजना अधिकारी / वन बंदोबस्त अधिकारीगण।

(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक, एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

# प्रपत्र-1

## (अ) नियमित / कार्य-प्रभारित स्वीकृत पदों का विवरण

कार्यालय का नाम......................

विभाग का नाम..................

| क्रम संख्या | लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष | आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता | पद नाम | ग्रेड पे तथा ग्रेड पे संख्या | वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या | नियमित कार्यरत कर्मचारी | | रिक्त पदों की संख्या [6-(7+8)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त | 1 जनवरी, 2004 तथा उसके पश्चात नियुक्त | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

नोट:

1. स्वीकृत पदों की प्रविष्टि करते समय नियमित / कार्य-प्रभारित में से चयन करें।
2. ऑनलाइन प्रविष्टि (entry) के लिए कॉलम 2 के लिए बजट शीर्ष भरना होगा तथा कॉलम 7 व 8 की सूचना की प्रविष्टि करना अनिवार्य है। शेष कॉलम की सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वत: ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी। **कॉलम 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर कॉलम संख्या 6 में 'आयोजना' तथा 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' में स्वीकृत पदों का कुल योग दर्शित होगा जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर कॉलम संख्या 6 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' में स्वीकृत पदों की संख्या भी पृथक से दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।**
3. स्वीकृत स्टाफ के वे पदनाम ही दर्शाए जाएं जो कि संबंधित सेवा नियम तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में अंकित हैं। इस विवरण की सत्यता की जॉच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

**प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।**

**कार्यालयाध्यक्ष**

## (ब) स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण

कार्यालय का नाम......................

विभाग का नाम.................

| क्रम संख्या | लेखे का शीर्ष- मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष | आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय संहायता | पद नाम | ग्रेड पे | रिक्त पदों की संख्या | तदर्थ अस्थाई नियुक्ति (संख्या) | औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में) | पुनर्नियुक्ति (संख्या) | औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में) | एजेंसी के माध्यम से (संख्या) | औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में) | प्रत्यक्ष संविदा (संख्या) | औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में) | कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार (संख्या) | औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में) | अन्य (संख्या) | औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

नोटः- 1. (कॉलम 2) ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उन्हीं बजट शीर्ष में प्रविष्टि सम्भव होगी जो प्रपत्र 1(अ) में अंकित किए गए हैं। कॉलम 3, 4, 5 व 6 में सूचना चयन के आधार पर स्वत: उपलब्ध होगी। शेष सभी कॉलम में सूचना की प्रविष्टि करनी होगी।

2. कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर कॉलम संख्या 6 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या को भी सम्मिलित किया जावे। कॉलम संख्या 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर कॉलम संख्या 6 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या को दर्शाया जावे।

3. स्वीकृत स्टाफ के वे पदनाम ही दर्शाए जाएं जो कि संबंधित सेवा नियम तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में अंकित हैं। इस विवरण की सत्यता की जॉच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

## (स) विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण (स्वीकृत पदों के अतिरिक्त)

कार्यालय का नाम......................

विभाग का नाम.................

| क्रम संख्या | लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष | आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता | पद नाम | संख्या | वार्षिक वित्तीय भार (रुपये सहस्त्र में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

नोट:

(1) ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम 2 की प्रविष्टियां उन्हीं शीर्षों के लिए होंगी जो विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारी से संबधित हैं।

(2) कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर कॉलम संख्या 5 व 6 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' के अन्तर्गत संख्या एवं वार्षिक वित्तीय भार को भी सम्मिलित किया जावे। इसी प्रकार कॉलम संख्या 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर कॉलम संख्या 5 व 6 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' के अन्तर्गत संख्या एवं वार्षिक वित्तीय भार को दर्शित किया जावे।

(3) उपलब्ध करवाए गए विवरण की सत्यता की जाँच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष